R. No. 35646/79
Regd. No. MH/By-South/Tech/47-290/MBI/2003-05
Licence No. 24 - Licensed to post without prepayment. Posted at Byculla Sorting Post Office

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

291
अक्तूबर
2003

बैंकिंग

स्व-रोजगार क्रेडिट कार्ड योजना

स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित माननीय प्रधानमंत्री के भाषण के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि मछुआरों, रिक्शा मालिकों, स्व-नियोजित व्यक्तियों आदि के लिए नयी ऋण सुविधा शुरू की जाए। तदनुसार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने स्व-रोजगार क्रेडिट कार्ड नामक मॉडल योजना तैयार की है। इस योजना को वित्त मंत्रालय ने अनुमोदित किया कि सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इस मॉडल योजना की ही तरह योजना प्रारंभ करें।

मॉडल योजना

उद्देश्य

स्व-रोजगार क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य छोटे कारीगरों, हथकरघा पर काम करने वाले बुनकरों, सेवा क्षेत्र के कामगारों, मछुआरों, स्व-नियोजित व्यक्तियों, रिक्षा मालिकों, अन्य लघु उद्यमियों आदि को बैंकिंग प्रणाली से लचीला, असुविधा-रहित और किफायती तरीके से पर्याप्त और समयपर ऋण अर्थात् कार्यशील पूंजी या थोक पूंजी या दोनों उपलब्ध कराना है। इस सुविधा में उपभोग आवश्यकताओं के लिए यथोचित घटक का भी समावेश किया जा सकता है।

कार्यान्वयन

सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक इस योजना को लागू करें। बैंकों को चाहिए कि वे पात्र ग्राहकों तक इस योजना को सक्रिय रूप से बाजार में लायें।

वित्तीय समायोजन का स्वरूप

इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जानेवाली ऋण सुविधा संमिश्र ऋण के स्वरूप में होगी। इसमें मीयादी ऋण/परिक्रामी नकद ऋण (रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट) भी शामिल है।

निवेश संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मीयादी ऋण दिया जाए और उचित किस्तों में पांच वर्ष के भीतर उसकी चुकौती की जाए।

निवेश के परिचालन चक्र/स्वरूप को ध्यान में रखते हुए परिक्रामी नकद ऋण निश्चित किया जाए और मीयादी ऋण की स्वीकृति के बाद उपलब्ध बकाया राशि के आधार पर उसे निर्धारित किया जाए।

उच्चतम सीमा

प्रत्येक उधारकर्ता की संमिश्र ऋण की उच्चतम सीमा 25000 रुपये है। अचल परिसंपत्ति और/या कार्यशील पूंजी आवश्यकता/उधारकर्ता को आवर्ती व्यय के लिए प्रारंभिक निवेश को उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए आधार माना जाए। कार्यशील पूंजी/आवर्ती व्यय सीमा परिक्रामी नकद ऋण के रूप में होनी चाहिए और उसे प्रति वर्ष परिचालन चक्रों की संख्या को कुल बिक्री से प्रतिशत के रूप में विभाजित करके निर्धारित किया जाए। उत्पादन गतिविधि के पारिवारिक श्रम के मूल्य को ध्यान में रखते हुए उपभोग ऋण का घटक निर्धारित किया जा सकता है। कुल उच्चतम सीमा अनुमानित निवल अर्जन और उधारकर्ता की चुकौती क्षमता को विचार करके निश्चित की जाए।

वैधता और निर्गम

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड सामान्यत: पांच वर्ष के लिए वैध होगा, बशर्ते खाते का परिचालन संतोषजनक रूप से होता है और एक आसान समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से वार्षिक आधार पर उसका नवीकरण किया जा सके। अलबत्ता, खाते के परिचालन नियमित होने चाहिये।

इस योजना के अंतर्गत आनेवाले लाभार्थियों को एक लैमिनेटेड क्रेडिट कार्ड तथा एक पास बुक जारी की जायेगी, जिसमें उनका नाम, पता, उधार की सीमा, वैधता आदि दिये होंगे। यह एक पहचान-पत्र के साथ-साथ निरंतर आधार पर लेनदेनों का अभिलेख रखने का भी कार्य करेगा। कार्ड जारी करने/उस पर प्रक्रिया करने का शुल्क 50 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

पास बुक में मीयादी ऋण के चुकौती की अनुसूची भी होगी। कार्ड पर धारक का पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ भी चिपकाया जाना चाहिये। कार्ड धारक जब भी खाते से राशि का आहरण करता/करती है तब उसे कार्ड और पासबुक दिखाना होगा।

विषय सूची

	Page
बैंकिंग	
स्व-रोजगार क्रेडिट कार्ड योजना	1
बीमा कारोबार में बैंकों का प्रवेश	2
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात	2
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेशों के लिए बैंक वित्त	3
शहरी बैंक	
शहरी सहकारी बैंक- लाभांश घोषित करना	3
विदेशी मुद्रा	
विदेशी मुद्रा खाता खोलना - परियोजना/सेवा निर्यातक	3
अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के कर्मचारियों को रुपया ऋण	4
विदेश में रह रहे नज़दीकी रिश्तेदारों से उधार	4
परेषिती आधार पर पुस्तकों का निर्यात	4
अचल परिसंपत्ति की खरीद/बिक्री	4
स्वर्ण की आयात	4

स्व-सहायता समूहों को भी उनके नाम पर कार्ड जारी किये जायें। चुकौती के लिए वे संयुक्त और अलग-अलग रूप से जिम्मेदार होंगे।

योजना को लागू करते समय समूह दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए।

कार्यशील पूंजी सीमाओं का नकदीकरण

- नकद ऋण खाते में जमा की जानेवाली राशि और मीयादी ऋण खाते में चुकौती संबंधी कार्य निष्पादन को देखकर वार्षिक रूप से उच्चतम सीमाओं का नवीकरण किया जा सकता है।
- उधारकर्ता की संतोषजनक चुकौती के निष्पादन के अधीन समग्र उच्चतम सीमा के भीतर मीयादी ऋण घटक को बढ़ाया जा सकता है।
- कार्यशील पूंजी की सीमा तक चुकौती किया गया परिक्रामी नकद ऋण 25,000 रुपये की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर नवीकृत किया जाये और सामान्यत: आहरण की तारीख से बारह महीनों के भीतर उसे चुकाया जाना चाहिये। संतोषजनक चुकौती निष्पादन के अधीन जहाँ आवश्यक हो, निविष्टियों की लागत में वृद्धि के लिए समग्र उच्चतम सीमा के भीतर कार्यशील पूंजी बढ़ायी जा सकती है।
- यदि परिक्रामी नकद ऋण बारह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया रहता है, तो आहरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- बारह महीने की अवधि में खाते में कुल ऋण सामान्यत: कार्यशील पूंजी में अधिकतम बकाये तथा अर्जित किया गया मीयादी ऋण, यदि कुछ हो तो उसकी किस्त को मिलाकर उसके बराबर होना चाहिये।

परिचालन

- कार्ड के लिए ग्राहक चयन करने के लिए बैंक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी।
- उधारकर्ता अपनी आवश्यकताओं - अर्थात् मीयादी ऋण या कार्यशील पूंजी ऋण या दोनों का संमिश्र ऋण, के अनुसार ऋण सुविधा प्राप्त करेगा।
- जारी करने वाली शाखा को चाहिए कि वह हर स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के धारक का लेजर खाता बनाये रखे। मीयादी ऋण घटक और कार्यशील पूंजी घटक का अलग-अलग विचार किया जाए। खाते के परिचालन सामान्यत: कार्ड जारी करने वाली शाखा के माध्यम से ही होने चाहिये। अलबत्ता, बैंक अपने विवेकानुसार ग्राहकगण की सुविधा का ध्यान रखकर नामित शाखाओं के माध्यम से परिचालनों की अनुमति दे सकते हैं।
- आहरण पर्चियां/चेकों के माध्यम से खाते से आहरण किया जाना चाहिये। जब भी नकद का आहरण किया जाता है, तब हर समय स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड और पासबुक प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
- स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बचत बैंक खाता खोलना पूर्व-शर्त नहीं होनी चाहिये। अलबत्ता, यदि स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड धारक यदि स्वयं ही बचत बैंक खाता खोलना चाहता/चाहती हो, तो उन्हें खाता खोलने की अनुमति दी जाए।

बीमा

- इस योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी अपने आप ही समूह बीमा योजना के अंतर्गत कवर किये जायेंगे और प्रीमियम बैंक और उधारकर्ता द्वारा समान रूप से बांटा जायेगा। हर बैंक अपनी पसंदीदा कंपनी के साथ राष्ट्रीय या क्षेत्रीय आधार पर बीमा की शर्तों पर बातचीत कर सकता है।

जमानत/मार्जिन/ब्याज/विवेकपूर्ण मानदंड

- जमानत, मार्जिन, ब्याज की दर और विवेकपूर्ण मानदंड रिज़र्व बैंक के मानदंडों के अनुसार लागू किये जायेंगे।

निगरानी

- योजना की निगरानी के लिए नाबार्ड प्रमुख एजेंसी होने के नाते बैंकों से अपेक्षित है कि वे नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

लक्ष्य

- यह अपेक्षा है कि वर्ष 2003-04 के दौरान बैंक 2 लाख कार्ड जारी करेंगे और दसवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पहले 40 लाख का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। नाबार्ड राज्य वार लक्ष्य का प्रस्ताव करेगा और राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति में उसे अनुमोदित किया जायेगा।

बीमा कारोबार में बैंकों का प्रवेश

रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि उन्हें बीमा एजेंसी का कारोबार आरंभ करने या जोखिम में भागीदार बने बिना परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अलबत्ता, बैंकों को -

(क) 'समेकित कार्पोरेट एजेंट' या बीमा कंपनियों के लिए परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के विनियमों का पालन करना होगा।

(ख) बैंक ऐसी कोई प्रतिबंधात्मक पद्धति नहीं अपनायेंगे कि जिसके द्वारा उनके ग्राहकों को किसी खास बीमा कंपनी के पास जाने के लिए मजबूर किया जाये। ग्राहक को स्वयं की पसन्द के हिसाब से कहीं भी जाने की छूट हो।

(ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के विनियमों का अनुपालन करने के अलावा संबंधित बीमा कंपनी के साथ एक ऐसा समझौता भी करेंगे जिसके द्वारा बैंक के वर्तमान मूलभूत सुविधाओं का उपयोग तथा परिसर का उपयोग करने की अनुमति दी गयी हो। पहली बार ऐसा समझौता अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए किया जाना चाहिए और बैंक को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह बीमा संबंधी सेवाओं से अपनी संतुष्टि के आधार पर ऐसे समझौते की शर्तों का पुन:निर्धारण कर सके या समझौते की मूलभूत अवधि समाप्त हो जाने के बाद वह पुराने करार की जगह दूसरा करार कर सके। इसके बाद, गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक के मामले में, ऐसा बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपेक्षाकृत लंबी अवधि के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक के मामले में भारत सरकार के अनुमोदन से ऐसा किया जा सकेगा।

(घ) बैंक द्वारा वितरित की जाने वाली किसी भी प्रचार संबंधी सामग्री में इस बात का प्रमुखता के साथ उल्लेख किया जाना चाहिए चूंकि किसी बैंक के ग्राहक द्वारा बीमा संबंधी उत्पादों में सहभागिता पूर्णत: स्वैच्छिक आधार पर है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उपलब्ध करायी जाने वाली बैंकिंग सुविधाओं के प्रावधान और बीमा संबंधी उत्पादों के प्रयोग के बीच किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 'संबंध' नहीं होना चाहिए ।

(ङ) सुनिश्चित करना होगा कि बीमा एजेंसी/परामर्शी व्यवस्था के चलते यदि कोई जोखिम उठाना पड़े तो ऐसा जोखिम बैंक के कारोबार में अंतरित नहीं होना चाहिए।

अलबत्ता, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाले तथा जोखिम में सहभागिता के आधार पर इक्विटी में अपने अंशदान के साथ बीमा संयुक्त उद्यम स्थापित करने के या मूलभूत सुविधाएं और सेवा संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए बीमा कंपनियों में निवेश करने के इच्छुक बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति प्राप्त करते रहना होगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात

रिज़र्व बैंक ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों को यह स्पष्ट किया है कि प्रायोजक बैंकों के पास रखे गये चालू खाता नकदी शेष बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए योग्य होते हैं। अलबत्ता, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रायोजक बैंकों के पास मांग जमा या मीयादी जमा में रखे गये शेष, सांविधिक चलनिधि अनुपात जमाराशियों का हिस्सा नहीं समझे जायेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रायोजक बैंकों के पास जमा ऐसी सांविधिक चलनिधि अनुपात की जमाराशियां जिनकी संविदा तारीख 30 अप्रैल 2002 से पहले की है और परिपक्वता अवधि की समाप्ति मार्च 2003 के बाद होती है, उनकी अवधि समाप्ति तक उनकी गणना सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए की जायेगी।

अक्तूबर 2002 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया था कि वे प्रायोजक बैंकों के पास रखी गयी अपनी मांग जमा/मीयादी जमाराशियां मार्च 2003 तक सरकारी प्रतिभूतियों में परिवर्तित करें।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेशों के लिए बैंक वित्त

रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि ऐसी विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी) जो निम्नलिखित शर्तों का पालन करती हैं उन्हें निवेश कंपनियां नहीं माना जायेगा; इसलिए उन्हें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी नहीं समझा जायेगा। हालांकि उन्हें गैर-बैंकिंग कंपनियां नहीं समझा जाता है, वे भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेश के लिए बैंक वित्त के लिए पात्र होंगी।

विशेष प्रयोजन संस्थाओं को चाहिए कि -

(क) उन्हें नियंत्रक कंपनियों, विशेष प्रयोजन संस्थाओं आदि के रूप में कार्य करना चाहिए तथा स्वामित्व जोखिम धारण करने के प्रयोजन से रखे गये शेयरों में निवेश के रूप में उनकी कुल परिसंपत्तियों के 90 प्रतिशत से अनधिक होना चाहिए;

(ख) ब्लॉक सेल को छोड़कर इन शेयरों का व्यापार न करें;

(ग) अन्य कोई वित्तीय गतिविधियां न करें; और

(घ) सार्वजनिक जमाराशियां न रखें/उनका स्वीकार न करें।

शहरी सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक- लाभांश घोषित करना

रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा लाभांशों की घोषणा करने के लिए अपनाये जाने के लिए कुछेक मानदण्ड निर्धारित किये हैं। मानदण्ड इस प्रकार हैं:

(क) केवल ऐसे बैंक ही लाभांश घोषित करेंगे जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा ग्रेड II, III या IV के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, बशर्ते लाभांश के भुगतान से बैंक की चलनिधि स्थिति में क्षति नहीं होती है।

(ख) जिन बैंकों को ग्रेड II के रूप में वर्गीकृत किया गया है उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। ग्रेड II में वर्गीकृत शहरी सहकारी बैंकों के आवेदनपत्रों पर उस स्थिति में विचार किया जायेगा जब वे नीचे दर्शाये गये मानदण्ड पूरे करते हों:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार सीआरएआर मानदंडों का अनुपालन

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी अद्यतन निरीक्षण रिपोर्ट में किए गए निर्धारण के अनुसार सभी आवश्यक प्रावधान करने के बाद बैंक के निवल एनपीए 10 प्रतिशत से कम हो।

(iii) जिस वर्ष के लिए लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव है, उस दौरान सीआएआर/एसएलआर में कोई चूक नहीं होनी चाहिए।

(iv) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदण्डों के अनुसार अनर्जक आस्तियां, निदेशों तथा अन्य आस्तियों के बारे में सभी अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है। जहां बैंक का हाल ही में रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है, और इसलिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनर्जक आस्तियों का आकलन नहीं किया गया है, लेखा-परीक्षक का इस आशय का प्रमाणपत्र कि सभी आवश्यक प्रावधान कर लिये गये हैं, संलग्न किया जाना चाहिए।

(v) लाभांश की अदायगी संचित हानियों के लिए सभी सांविधिक प्रावधान तथा समायोजन कर लिये जाने के बाद शुद्ध लाभ में से की जाती है।

(ग) ग्रेड III/IV के अन्तर्गत वर्गीकृत बैंक तब तक लाभांश घोषित न करें जब तक उन्हें ग्रेड I के रूप में या ग्रेड II के रूप में अपग्रेड नहीं कर दिया जाता और वे ऊपर बतायी गयी शर्तें पूरी नहीं कर लेते।

बैंक की वित्तीय स्थिति के अनुरूप विवेकपूर्ण विचारधारा के अनुसार लाभांश वितरण की जो दर होनी चाहिए थी उससे ज्यादा दर पर लाभांश वितरित करने की प्रवृत्ति बैंकों में देखी गई है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां शहरी सहकारी बैंकों ने सहकारी सोसायटी अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित दर से ज्यादा लाभांश घोषित किया है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा खाता खोलना - परियोजना/सेवा निर्यातक

भारत में निवासी कोई व्यक्ति जो परियोजना/सेवा निर्यातक है, भारत से बाहर अथवा भारत में किसी बैंक के पास विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है/धारित कर सकता है और अनुरक्षित कर सकता है। तद्नुसार, समुद्रपारीय संविदा अनुमोदित करने वाले प्राधिकरण और प्राधिकृत व्यापारी/निर्यात-आयात बैंक/कार्यकारी दल निर्यातकों के भारत में विदेशी मुद्रा खाता खोलने, धारित करने और अनुरक्षित करने के लिए परिशिष्ट में उल्लिखित नियम और शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों पर प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकते हैं :

- निर्यातक विदेश में निष्पादनाधीन प्रत्येक प्रयोजन के लिए अलग विदेशी मुद्रा खाता खोलेंगे/धारित करेंगे और बनाये रखेंगे।
- प्राधिकृत व्यापारी ऐसे खातों में धारित जमा राशि की ज़मानत पर कोई रुपया ऋण नहीं लेंगे और खाते में किसी ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं होगी।
- खाते की जमा राशि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सांविधिक चलनिधि अनुपात/अनिवार्य चलनिधि अनुपात की शर्त के अधीन होगी।

यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रयोजन अनुमोदन प्राधिकरण अनुरोध करने पर ऐसी प्रयोजन/सेवा निर्यातकों को अनुमति दे सकते हैं, जैसा कि भारत में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति दी गयी है इसलिए अपने भारतीय आपूर्तिकर्ताओं/सेवा दाताओं को अपने विदेशी मुद्रा खाते में से विदेशी मुद्रा में निम्नलिखित शर्तों पर भुगतान करने की अनुमति दे सकते हैं :

(i) परियोजना/सेवा निर्यातक भारतीय आपूर्तिकर्ता/सेवा दाता को किए गए अनुमोदन के लिए निर्यात लाभों का दावा नहीं करेंगे।

(ii) माल/सेवाओं के भारतीय आपूर्तिकर्ता फेमा, 1999 के प्रावधानों/अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करेंगे।

प्राधिकृत व्यापारियों/एक्जिम बैंक को सूचित किया गया है कि वे परियोजना/सेवा संविदाओं को देने के बाद भारत में विदेशी मुद्रा खाता खोलने का अनुमोदन प्रदान करते समय कतिपय शर्तें निर्धारित करें। शर्तें इस प्रकार हैं:

(क) खाता किसी भी परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में रखा जा सकता है।

(ख) निम्नलिखित जमा/नामे अनुमत होंगे :

जमा

- ग्राहक से प्राप्त विदेशी मुद्रा में भुगतान
- अधिशेष राशि जो अल्पावधि जमा के रूप में है उस पर अर्जित ब्याज

नामे

- अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीमा तक समुद्रपारीय माल और सेवाओं की आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान
- परियोजना स्थल को निधियों का अंतरण
- बैंक प्रभार
- परियोजना संबंधी रुपये में व्यय
- जब भारत से सामग्री/उपकरणों की आपूर्ति के लिए ग्राहक द्वारा निधियों का अंतरण रुपया खाते में किया जाता है तब उसे अस्थायी स्वरूप में खाते में जमा किया जाए।
- संविदा के अंत में भारत में रुपया खाते में जमा राशि का परिवर्तन

सभी अन्य जमा/नामे के लिए अनुमोदन प्राधिकरण/भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05
30 अक्तूबर तथा 31 अक्तूबर 2003 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

(ग) परियोजना पूर्ण होने के तुरंत बाद खाता बंद किया जाएगा और संपूर्ण जमा राशि रुपये खाते और/अथवा ईईएफसी खाते में, जैसा भी मामला हो, वर्तमान दिशानिदेशों के अनुसार अंतरित की जाएगी।

(घ) परियोजना की अस्थायी राशि जो बची हुई हो एक वर्ष की अवधि तक की अल्पावधि जमा की जाएगी और परिपक्वता पर परियोजना के विदेशी मुद्रा खाते में अंतरित की जाएगी। परंतु मीयादी जमा की परिपक्वता अवधि किसी भी हालत में संदर्भाधीन परियोजना की पूर्णता की तारीख से आगे नहीं होगी।

(ङ) इन शेष राशियों पर कोई भी रक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के कर्मचारियों को रुपया ऋण

यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय कंपनियों, अर्थात् पंजीकृत निगमित निकाय अथवा भारत में निगमित कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए, जो अनिवासी भारतीय हैं अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, रुपये में ऋण निम्नलिखित शर्तों पर देने के लिए सामान्य अनुमति दी जाये :

(i) ऋण भारत में आवासीय संपत्ति की खरीद समेत केवल निजी प्रयोजनों के लिए प्रदान किया जाएगा;

(ii) ऋण, ऋणदाता की स्टाफ कल्याण योजना/स्टाफ आवासीय ऋण योजना और भारत में निवासी स्टाफ को लागू अन्य नियमों और शर्तों के अनुसार प्रदान किया जाएगा;

(iii) ऋणदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण की राशि -

- चिट फंड कारोबार, या
- निधि कम्पनी, या
- कृषि/प्लान्टेशन गतिविधियाँ जमीन जायदाद संबंधी कारोबार/फार्म हाउस का निर्माण, या
- हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) के कारोबार, या
- किसी कम्पनी में अथवा भागीदारी में या स्वामित्ववाली कम्पनियां इकाई में चाहे वह नियमित हो अथवा नहीं; में पूंजी या अन्यथा निवेश, या
- फिर से उधार देने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा;

(iv) ऋण दाता, ऋण की राशि उधारकर्ता के भारत में अनिवासी बाह्य खाता में जमा करेगा अथवा यह सुनिश्चित करेगा कि वह भुगतान लिखत पर विनिर्दिष्ट निदेश के साथ खाते में जमा किया गया है;

(v) ऋण करार में शर्त लगाई जाएगी कि ऋण की चुकौती भारत के बाहर से प्रेषण द्वारा अथवा उधारकर्ता के एनआरई/एनआरओ/एफसीएनआर खाते से की जाएगी और ऋण दाता किसी भी अन्य स्रोत से की गई चुकौती का स्वीकार नहीं करेगा।

मई 2000 में भारत में प्राधिकृत व्यापारियों तथा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित आवास वित्त संस्थाओं को इस बात की अनुमति दी गयी थी कि वे भारत में आवासीय स्थान लेने के लिए अनिवासी भारतीयों/भारत से बाहर भारत के मूल व्यक्तियों को ऋण प्रदान करें।

विदेश में रह रहे नज़दीकी रिश्तेदारों से उधार

रिज़र्व बैंक ने भारत के बाहर के निवासी नज़दीकी रिश्तेदार उधार लेने के संबंध में विनियमों को और उदार तथा सफल बनाया है। तदनुसार, निवासी व्यक्ति 2,50,000 अमरीकी डॉलर से अनधिक या उसके समकक्ष राशि भारत से बाहर रहने वाले नज़दीकी रिश्तेदारों से निम्नलिखित शर्तों के अधीन उधार ले सकता है:

(i) ऋण की न्यूनतम परिपक्वता अवधि एक वर्ष हो;

(ii) ऋण ब्याज मुक्त हो; और

(iii) ऋण की राशि मुक्त विदेशी मुद्रा में सामान्य बैंकिंग मार्ग से आवक प्रेषणों द्वारा या अनिवासी उधारदाता के एनआरई/एफसीएनआर(बी) खातों में नामे द्वारा प्राप्त की गई हो।

मई 2000 में अलग-अलग निवासियों को सूचित किया गया था कि वे कतिपय शर्तों के अधीन, आवेदन करने पर भारत से नज़दीकी रिश्तेदार से 2,50,000 अमरीकी डॉलर से अधिक अथवा उसके बराबर राशि विदेशी मुद्रा में उधार ले सकते हैं।

परेषिती आधार पर पुस्तकों का निर्यात

पुस्तकों की निर्यात व्यवस्था को उदार बनाने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि अब से प्राधिकृत व्यापारी इसके बाद लदान के तारीख से 360 दिनों तक निर्यात आय की वसूली के परेषिति आधार पर पुस्तकों के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकते हैं। निर्यातक को यह भी अनुमति हो कि वह बिक्री संविदा की अवधि समाप्ति के पश्चात बेची न गयी पुस्तकों को छोड़ दें। तद्नुसार, निर्यातक बेची न गयी पुस्तकों का मूल्य बिक्री खाते के निर्यात आय से घटाकर दिखा सकता है।

अचल परिसंपत्ति की खरीद/बिक्री

यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी दूतावास/राजनयिक/कॉन्सुलेट जनरल को भारत में कृषि भूमि/वृक्षारोपण संपत्ति/फार्महाउस के सिवाय अचल संपत्ति खरीदने/बेचने की अनुमति दी जाये बशर्ते -

(i) ऐसी खरीद/बिक्री के लिए भारत सरकार, विदेशी कार्य मंत्रालय से अनुमति प्राप्त की गई हो, और

(ii) भारत में अचल संपत्ति अभिगृहीत करने के लिए मूल्य का भुगतान विदेश से बैंकिंग माध्यम से प्रेषित निधियों में से किया जाए।

स्वर्ण की आयात

रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों को यह सूचित किया है कि नामित एजेंसी योजना के अंतर्गत सोने के आयात के लिए साख पत्र केवल नामित एजेंसी की ओर से ही स्थापित किया जाए। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य संस्था की ओर से कोई भी साख पत्र न जारी किया जाए चाहे वे संस्थाएँ नामित एजेंसी द्वारा प्राधिकार पत्र ही क्यों न प्रस्तुत करें।

स्वर्ण के आयात के लिए सरकार की नामित एजेंसी योजना के अधीन सरकार द्वारा नामित की गई एजेंसी के रूप में, एमएमटीसी/एचएचईसी, एसटीसी और पीईसी, और रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत बैंक निर्यातकों को, उन पर लगाए गए निर्यात दायित्वों सहित, आपूर्ति करने के लिए स्वर्ण आयात करने हेतु प्राधिकृत हैं। तदनुसार, नामित एजेंसी योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं नामित एजेंसियों को ही स्वर्ण आयात करने के लिए साख पत्र खोलने की अनुमति है।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ॲल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ॲण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र । ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**